

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 17 MAR 2018

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	अमित चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	कॉलेज लेक्चरर के इन्टरव्यू में उपस्थित होने हेतु
2.	अफरोज तरन्नुम कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017
3.	वीना अग्रवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017
4.	राजकुमारी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर कार्यालय झुंझुनू	विधि व्याख्याता परीक्षा-214 के साक्षात्कार में शामिल होने हेतु

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-६०-

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव